सरकारी नौकरी के बिना पेंशन?
एनपीएस से हुआ संभव

अच्छी खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीने की दर स्वतंत्रता के समय 32 वर्ष थी इस समय बढ़कर 65 हो गई है तथा 2050 तक इसके 75 वर्ष होने की संभावना है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि भारत दुनिया के सबसे युवा राष्ट्रों में से एक है लेकिन आने वाले दिनों में बुजुर्गों की संख्या भी बहुत बढ़ जाएगी। स्वाभाविक रूप से दुनिया के इस भाग में (जहां "पालने से लेकर कब्र तक" सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अभी पता नहीं कितने वर्ष दूर है और रहन–सहन की लागत निरंतर बढ़ती जा रही है) जन्में आपमें से अधिकतर अपने बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा के लिए कोई न कोई योजना बना रहे हैं। इस संदर्भ में कंस्यूमर वॉयस आपके लिए लाई है नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) का गहन विश्लेषण जो सभी नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति आय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

गोपाल रविकुमार और सुभाष तिवारी की रिपोर्ट

पहली जनवरी, 2004 का आरंभ, नेशनल पेंशन सिस्टम शुरू में सरकारी कर्मचारियों जो पहली जनवरी, 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आए थे– सशस्त्र बलों को छोड़कर सबके लिए ही थी। उसके बाद, पहली मई, 2009 को, एनपीएस सभी नागरिकों के लिए खोल दी गई। वे अब ऐच्छिक रूप से इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं।

एनपीएस वह पेंशन स्कीम है – जिसमें ग्राहक अपने चुने गए फंड में प्रत्येक महीने अपनी राशि का निवेश करेगा और सेवानिवृत्ति के समय उस फंड के प्रदर्शन के आधार पर एकमुश्त राशि प्राप्त करेगा। यह पिछले पेंशन सिस्टम से अलग है जहां सेवानिवृत्ति के बाद प्रत्येक महीने प्राप्त की जाने वाली अभिदान राशि सरकार द्वारा निर्धारित की जाती थी तथा समय–समय पर बढ़ती

जाती थी (उसे परिभाषित लाभ प्रणाली भी कहते थे)। एनपीएस के तहत, सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति को अपनी मासिक पेंशन के लिए अपने संचित धन पर निर्भर रहना होगा। यह बुनियादी रूप से बाजार से जुड़ी व्यवस्थित ढांचे वाली निवेश स्कीम है। एनपीएस खाते अमुक मध्यस्थों के जरिए खोले जा सकते हैं जिन्हे उपस्थित बिंदु (पाइंट ऑफ प्रेजेन्स–पीओपी) कहा जाता है जो आमतौर से सेवा प्रदान करने वाली शाखाओं/कार्यालयों (बैंक और एनबीएफसी के) के रूप में जाने जाते हैं। वे अभिदान प्राप्त करने के लिए भी अधिकृत हैं। ऐसा व्यक्तिगत अभिदान पेंशन फंड में जमा होता है जो बाजार में अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। पीओपी की प्राथमिक भूमिका एनपीएस का विपणन करना तथा एनपीएस अभिदाताओं को सेवाएं प्रदान करना है।

एनपीएस का नियमन कौन करता है ?

पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों और निजी वित्तीय संस्थानों सहित 58 संस्थानों को नागरिकों के एनपीएस खाते खोलने के लिए पीओपी के रूप में अधिकृत किया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे निवेश पर अर्जित रिटर्न के आधार पर एनपीएस में राशि वर्षों में बढ़ती और संचित होती है। इसलिए, यह समझा जाना चाहिए कि ऐसा रिटर्न पूरी तरह बाजार से संबंधित होता हैं।

एनपीएस स्कीम

एनपीएस निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, पेंशन निधि प्रबंधक तीन अलग–अलग स्कीमों का प्रबंधन करते हैं, प्रत्येक विभिन्न परिसंपत्ति वर्ग में निवेश करती है। तीन परिसंपत्ति वर्ग हैं – इक्विटी (ई), सरकारी प्रतिभूतियां (जी) और क्रेडिट जोखिम–धारक नियत आय उपकरण (सी)।

- **ई वर्ग :** यहां निवेश मुख्य रूप से इक्विटी में किया जाता है। फंड प्रबंधक इन्डेक्स फंड में निवेश करते हैं जो बीएसई सेंसेक्स या एनएसई निफ्टी 50 के पोर्टफोलियो की प्रतिकृति होते हैं।
- **जी वर्ग :** यहां निवेश भारत सरकार के बॉन्ड और राज्य सरकार के बॉन्ड जैसी सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाता है।
- **सी वर्ग :** यहां निवेश क्रेडिट जोखिम के साथ नियत–आय प्रतिभूतियों में किया जाता है जो सरकारी प्रतिभूतियों से इतर प्रतिभूतियां होती हैं।

सब्सक्राइबर के पास यह निर्णय करने का विकल्प होता है कि इन तीन परिसंपत्ति वर्गों में धन कैसे निवेश किया जाए। इसे "सक्रिय चुनाव" कहते हैं। दूसरी तरफ, यदि सब्सक्राइबर किसी विकल्प का चुनाव नहीं करता, तो वह अभिदान"ऑटो चुनाव" विकल्प के अनुरूप निवेश किया जाएगा। इस विकल्प में पहले से परिभाषित विकल्प होता है जिसमें 18 वर्ष की न्यूनतम प्रवेश आयु पर, आवंटन ई वर्ग में 50 प्रतिशत, सी में 30 प्रतिशत और जी में 20 प्रतिशत होगा। यह अनुपात 36 वर्ष की आयु तक लागू होगा।

36 वर्ष की आयु से, ई और सी परिसंपत्ति वर्गों में महत्व कम हो जाता है तथा जी वर्ग में हर साल तब तक बढ़ता जाता है जब तक वह 55 वर्ष की आयु में ई में 10 प्रतिशत, सी में 10 प्रतिशत और जी में 80 प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता। "ऑटो चुनाव" विकल्प समय के साथ जांची–परखी इस खुद के निर्णय पर आधारित होता है कि हालांकि इक्विटी लघु अवधि में जोखिम भरी होती है लेकिन दीर्घावधि में अन्य सभी परिसंपत्ति वर्गों को परास्त करती है।

कब निकालें ?

- 60 वर्ष पर स्कीम से विद्यमान होने पर, सब्सक्राइबर एकमुश्त 60 प्रतिशत राशि निकाल सकता है, शेष 40 प्रतिशत आजीवन वार्षिकी स्कीमों में निवेश की जानी चाहिए जो पेंशन के रूप में काम आएगी।
- अगर आप 60 वर्ष की आयु हासिल करने से पहले (वीआरएस लेकर या किसी अन्य कारण से) निकल जाते हैं, तो आप प्रत्येक महीने वार्षिकी पेंशन के रूप में संचित पेंशन संपदा का 80 प्रतिशत प्राप्त करेंगे जबकि पेंशन फंड की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।
- सब्सक्राइब्ड अवधि के दौरान किसी समय सब्सक्राइबर की मृत्यु के दुर्भाग्यपूर्ण मामले में, समूची संचित पेंशन संपदा का भुगतान नॉमिनी/मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाएगा। उसके बाद किसी वार्षिकी पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- पीएफआरडीए निश्चित शर्तों/विनियमों के विषयाधीन आंशिक निकासी (पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के तहत) भी उपलब्ध कराता है लेकिन वह राशि सब्सक्राइबर के किए गए अभिदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल

दिसंबर 2011 में आरंभ, यह लचीले अभिदान के जरिए अपने कर्मचारियों को वृद्धावस्था सामाजिक–सुरक्षा लाभ देने के लिए कॉर्पोरेट निकायों के लिए मंच उपलब्ध कराती है। यह मॉडल कर्मचारी भविष्य निधि (इपीएफ) और सुपरएन्युएशन फंड (एसएएफ) जैसी अन्य सेवानिवृत्ति पेंशन स्कीमों के साथ चल सकती है।

इस मॉडल के तहत, कॉर्पोरेट समूह / कंपनी (नियोक्ता) के पास उपस्थिति के बिंदु (वाणिज्यिक बैंक और भारतीय डाक), पेंशन फंड (पीएफ) के साथ–साथ निवेश विकल्प ("सक्रिय चयन" सरकारी प्रतिभूतियों, असरकारी प्रतिभूतियों या इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट, "ऑटो चयन" लाइफ–साइकल फंड (पूर्व निर्धारित पोर्टफोलियो)) चुनने का लचीलापन होता है। कॉर्पोरेट निकाय ऐसा चुनाव कर्मचारियों पर भी छोड़ सकता है।

एनपीएस प्राइवेट मॉडल

इस मॉडल के तहत, सब्सक्राइबर संगठित और असंगठित क्षेत्रों (स्व–रोजगार, कारोबारी और बिजनस मालिकों सहित) के हो सकते हैं इस मॉडल के तहत एनपीएस को एनआरआई भी खरीद सकते हैं।

जबकि इस खाते के संचालन की व्यवस्था कॉर्पोरेट मॉडल जितनी ही अच्छी है, लेकिन प्राइवेट मॉडल भी कुछ अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराता है :

(i) वार्षिकी सेवा प्रदाता को चुनना (एएसपी): सब्सक्राइबर एनपीएस से विद्यमान के समय वार्षिकी खरीदने के लिए सात मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों में से किसी के पास जा सकते हैं।

(ii) सब्सक्राइबर वित्तीय वर्ष में एक बार अपने मौजूदा पेंशन फंड (पीएफ), निवेश विकल्प (सक्रिय या ऑटो चयन) के साथ–साथ आवंटन अनुपात (तीन परिसंपत्ति वर्गों में से किसी एक का आवंटन) को बदल सकता है।

असंगठित क्षेत्र के लिए स्वावलम्बन

पिछली बार स्वावलम्बन योजना की घोषणा भारत सरकार के आम बजट 2010–11 में की गई थी। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए ऐच्छिक रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस मॉडल के तहत, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति "समाहर्ताओं" (पीएफआरडीए की ओर से पहचाने गए राज्य सरकार के निकायों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, छोटे–छोटे ऋण देने वाली संस्थाओं, नॉन–बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और निजी क्षेत्र के निकायों सहित ग्रासरूट मध्यस्थों का समूह) के जरिए "समूहों" में एनपीएस में शामिल हो सकते हैं। यह मॉडल वंचित वर्गों को पेंशन संपदा की मुख्यधारा में लाता है।

इस मॉडल के तहत, केंद्र सरकार सभी पात्र स्वालम्बन खातों में प्रति खाता/सब्सक्राइबर 1000 रुपये की अभिदान राशि जमा करती है जहां सब्सक्राइबर की अभिदान राशि 1,000 और 12,000 रुपये प्रति वर्ष के बीच हो। मासिक पेंशन 1,000 रुपये प्रति महीने से कम होने के मामले में प्रत्येक महीने देय एन्युटि पेंशन संचित संपदा का 100 प्रतिशत होती है।

कई राज्य सरकारों ने भवन एवं निर्माण कामगारों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तथा पहचाने गए व्यवसाय समूहों में संलग्न अन्य कामगारों को शामिल करने के लिए यह स्कीम आत्मसात की है। यह असंगठित क्षेत्र के कामगारों की ऐच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने का विचार है।

प्रान (PRAN) के जरिए पोर्टेबिलिटी

करियर की संभावनाओं या स्थान बदलने के कारण अकसर काम बदलते रहने वालों के लिए, एनपीएस निर्बाध पोर्टेबिलिटी उपलब्ध कराती है। आप खाता जारी रख सकते हैं या अपने नए नियोक्ता से खाते की व्यवस्था कर सकते हैं तथा स्थायी निर्बाध खाता संख्या (प्रान) नामक विशिष्ट पहचान संख्या के आधार पर निर्बाध सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। यह संख्या आपको केंद्रीय अभिलेख अनुरक्षण एजेंसी (सीआरए) आवंटित करती है जो खाता खोलने के सभी प्रपत्र और अपने ग्राहक को जानिए केवाईसी इत्यादि सभी कागजात का अनुरक्षण करती है।

एनपीएस में निवेश कर, नियोक्ता (धारा 80 सीसीडी (2) के तहत) और कर्मचारी (धारा 80 सीसीडी (1) के तहत) दोनों ही अपने खाते की रकम पर आयकर छूट हासिल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट पहली अप्रैल, 2012 से प्रभावी आय कर अधिनियम की धारा 36(1) के तहत "बिजनेस व्यय" के तौर पर स्वीकृत एनपीएस रकम के रूप में भी टैक्स राहत का दावा कर सकते हैं। कोई भी 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का व्यक्ति प्रान खाता खोलने के लिए आवेदन कर सकता है। खाता खोलने के लिए आवेदक को सिर्फ अपनी पसंद के पीओपी प्रदाता (निर्धारित बैंक की शाखा, एनबीएफसी इत्यादि) के यहां निर्धारित "सब्सक्राइबर पंजीकरण प्रपत्र" जमा कराना होता है। वैकल्पिक रूप से, पीएफआरडीए की वेबसाइट पर भी प्रपत्र अपलोड किए जा सकते हैं। प्रान आवेदक के लिए "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी) कागजात (पहचान एवं निवास प्रमाण) अनिवार्य हैं।

शुल्क

खाता खोलने और सब्सक्राइब करने के लिए देय शुल्क निम्नलिखित हैं।

सेवा शुल्क की प्रकृति	देय राशि (रुपए में)*			को देय
	एकमुश्त	प्रतिवर्ष	प्रति लेनदेन	
सब्सक्राइबर पंजीकरण	100 रुपए			पीओपी
अभिदान राशि			0.25 प्रतिशत	पीओपी
प्रान खाता खोलने का शुल्क	50 रुपए			सीआरए
सीआरए अनुरक्षण		190		सीआरए
एसेट सर्विसिंग		0.05 प्रतिशत या 0.0075 प्रतिशत (न्यूनतम रु. 20 और अधिकतम रु. 25,000)		स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल)
निवेश प्रबंधन शुल्क		0.01 प्रतिशत		पेंशन फंड
सब्सक्रिप्शन जमा नहीं कराने पर जुर्माना		100		पीओपी
न्यूनतम शेष नहीं रखने पर जुर्माना		100		पीओपी

**सर्विस टैक्स को छोड़कर*

दो प्रकार के खाते

एनपीएस में दो प्रकार के खाते हैं टीयर 1, टीयर 2 :

टीयर 1 : यह खाता एनपीएस खाता खोलने के लिए अनिवार्य है। इसमें साल में कम से कम 6,000 रुपये जमा कराना जरूरी है। अगर कोई एक बार में यह रकम जमा नहीं कर सकता तो वह प्रतिमाह 500 रुपये की किस्तों में भी यह अभिदान राशि जमा करा सकता है। इस अकाउंट से बीच में राशि नहीं निकाली जा सकती। कुल जमा राशि के 60प्रतिशत का भुगतान साठ वर्ष की आयु में किया जाएगा और शेष 40 प्रतिशत राशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाएगी। साठ वर्ष की आयु से पहले कोई व्यक्ति जमा अभिदान राशि का केवल 20 प्रतिशत निकाल सकता है। अवधि पूरी होने से पहले निवेशक की मृत्यु होने की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को एकमुश्त सारी रकम मिल जाती है।

टीयर 2 : यह एच्छिक बचत सुविधा है लेकिन सेवानिवृत्ति खाता नहीं है। यदि सब्सक्राइबर के पास टियर 1 खाता नहीं है तो टीयर 2 के तहत खाता नहीं खोला जा सकता। टीयर–2 अकाउंट का इस्तेमाल बचत खाते की तरह किया जा सकता है। न्यूनतम 1000 रुपये से यह खाता खोला जा सकता है और एक बार में न्यूनतम 250 रुपये जमा कराए जा सकते हैं। साल के अंत में, निवेशक के अकाउंट में कम से कम 2000 रुपये होने चाहिए।

31 मार्च, 2014 को एनपीएस स्कीमों का प्रदर्शन

परिसंपत्ति वर्ग	स्कीम	किस दिनांक से प्रभावी	रिटर्न्स (सीएजीआर %) (आरंभ से)
सरकारी स्कीमें	केंद्र सरकार	1 अप्रैल 2008	9.10
	राज्य सरकार	25 जून 2009	8.59
निजी क्षेत्र की स्कीमें	इक्विटी (I और II)	1 मई 2009	9.20
	कॉर्पो. ऋण (I और II)	1 मई 2009	10.53
	सरकारी प्रतिभूतियां (I और II)	1 मई 2009	7.93

शिकायत समाधान व्यवस्था

शिकायत समाधान व्यवस्था (जीआरएम) भली–भांति परिभाषित है तथा एनपीएस और अन्य पेंशन स्कीमों के विविध मध्यस्थ इनका पालन करते हैं। यह व्यवस्था निम्नलिखित उपलब्ध कराती है :

(i) शिकायतों के समाधान के लिए निर्धारित समय सीमाएं

(ii) लोकपाल की नियुक्तियां

(iii) सब्सक्राइबर की लोकपाल को अपील और

(iv) जुर्माने का प्रावधान।

एनपीएस में बहुस्तरीय जीआरएम है जो केंद्रीय अभिलेख अनुरक्षण एजेंसी में केंद्रित है तथा काल सेंटर / इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पान्स सिस्टम (आइवीआरएस), वैब–आधारित इंटरफेस, लिखित शिकायत इत्यादि के जरिए इससे संपर्क किया जा सकता है। शिकायतें केंद्रीय शिकायत निगरानी पद्धति (सीजीएमएस) के जरिए भी दर्ज कराई जा सकती हैं जिसका अनुरक्षण सीआरए करता है। सब्सक्राइबर सीआरए की वैबसाइट www.cransdl.co.in पर अपनी शिकायत की स्थिति की जांच (पद्धति के जरिए आवंटित टोकन नंबर के माध्ययम से) कर सकता है अथवा 1800–222–080 पर काल सेंटर के जरिए अथवा निम्नलिखित पते के जरिए जानकारी हासिल कर सकता है :

एनएसडीए ई–शासन अवसंरचना लिमिटेड, प्रथम तल, टाइम्स टॉवर, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लॉवर परेल, मुंबई – 400013, वेबसाइट : www.npscra.nsdl.co.in

यदि सब्सक्राइबर को 30 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता या वह सीआरए के समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वह पीएफआरडीए के शिकायत समाधान प्रकोष्ठ (जीआरसी) में आवेदन कर सकता है। पीएफआरडीए प्रत्यक्ष रूप से भी अपने शिकायत समाधान प्रकोष्ठ में शिकायतों पर विचार करता है:

पीएफआरडीए शिकायत समाधान प्रकोष्ठ, प्रथम तल, आइसीएडीआर बिल्डिंग, नई दिल्ली–110070,

ईमेल : grc@pfrda.org.in

निकासी का दावा दर्ज करने के लिए, सब्सक्राइबर एनपीएस दावा प्रोसेसिंग सेल के मुंबई कार्यालय में अनुरोध कर सकता है :

दावा प्रोसेसिंग सेल, केंद्रीय अभिलेख अनुरक्षण एजेंसी, एनएसडीएल, चौथा तल, ए विंग ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लॉवर परेल, मुंबई – 400013,

फोन : 022–24994512 / 24994862 / 24994200

क्या है एन.पी.एस

एन.पी.एस (नेशनल पेंशन सिस्टम) : यह भारत सरकार की, समाज में असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिये पेंशन की योजना है।

क्या है प्रान

पर्मानेन्ट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (प्रान) : एन.पी.एस में खुलने वाले खाते को पर्मानेन्ट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (प्रान) कहते हैं और खाता धारक को एक प्रमाण कार्ड मिलता है।

उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण

आम जनता को नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में अधिक जागरूक बनाने के लिए, पीएफआरडीए भारत भर में मौजूदा और संभावित सब्सक्राइबर के लिए सीआरए के जरिए सब्सक्राबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। साथ ही, विभिन्न कर्मियों और एनपीएस के हितधारकों के लिए एनपीएस ऑपरेशन के बारे में आवधिक प्रशिक्षण मॉड्यूल और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

सब्सक्राइबर के हितों के संरक्षण के लिए, पीएफआरडीए अधिनियम अनुदान, दान, जुर्मानों इत्यादि के लिए सब्सक्राइबर शिक्षा एवं संरक्षण निधि (एसइपीएफ) की स्थापना भी उपलब्ध कराता है। यह फंड सब्सक्राइबरों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।